

दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वनियमन:
 - ऑनलाइन गेमिंग के कुछ अन्य पहलुओं जैसे वजिजापन, सामग्री वर्गीकरण से संबंधित आचार संहिता आदि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वनियमिति किया जा सकता है।
- उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा वनियमन:
 - उपभोक्ता मामले मंत्रालय अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिये इस क्षेत्र को वनियमिति कर सकता है।

केंद्रीय स्तर पर एक कानून का उद्देश्य:

- ऑनलाइन गेमिंग एक राज्य वषिय होने के नाते:
 - ऑनलाइन गेमिंग राज्य का वषिय रहा है, लेकिन राज्य सरकारों के अनुसार, उन्हें अपने राज्य के भीतर कुछ एप्स या वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के नयिम को लागू करना बेहद मुश्किल होता है।
 - इसके अलावा चर्चा का अन्य वषिय यह है कि एक राज्य में पारति नयिम दूसरे में लागू नहीं होते हैं, जिससे देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को वनियमिति करने के तरीके में असंगतता पैदा हुई है।
 - राज्य सरकारों के पास बाहरी सट्टेबाज़ी वेबसाइटों के लिये ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने हेतुकेंद्र के समान इन्हें अवरुद्ध करने की शक्तियाँ भी नहीं हैं।
- सामाजिक सरोकार:
 - देश में ऑनलाइन गेम के प्रसार से उत्पन्न होने वाली कई सामाजिक चर्चाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
 - देश के वभिन्न हसिसों में ऑनलाइन गेम पर लोगों द्वारा बड़ी रकम गँवाने की कई घटनाएँ और इनकी वजह से होने वाली आत्महत्या की घटनाएँ सामने आई हैं।
- नयिमक ढाँचे की अनुपलब्धता:
 - इसके साथ ही वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के वभिन्न पहलुओं को नयितरति करने के लिये कोई नयिमक ढाँचा नहीं है जैसे कि शकियायत नविरण तंत्र, खलिाड़ी संरक्षण उपायों को लागू करना, डेटा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एवं भ्रामक वजिजापनों पर प्रतबिंध आदी।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार का वसितार:

- राजस्व और उद्योग वृद्धि:
 - भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2022 में 1.5 बलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है और वर्ष 2025 में इसके 5 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
 - देश में यह उद्योग वर्ष 2017-2020 के बीच 38% की CAGR से बढ़ा, जबकि चीन में 8% और अमेरिका में 10% था।
 - 15% की CAGR वृद्धि के साथ वर्ष 2024 तक इसका राजस्व बढ़कर 153 बलियन रुपए होने की संभावना है।
- उपयोगकर्त्ताओं में वृद्धि:
 - भारत में भुगतान करने वाले नए गेमिंग उपयोगकर्त्ताओं (NPU) का प्रतशित लगातार दो वर्षों से दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है जो वर्ष 2020 में 40% और वर्ष 2021 में 50% तक पहुँच गया है।
 - EY FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की एक रपिर्ट के अनुसार, भारत में लेनदेन-आधारित गेम का राजस्व 26% बढ़ा है और भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या 17% बढ़कर वर्ष 2020 के 80 मलियन से वर्ष 2021 में 95 मलियन हो गई।

आगे की राह

- मज़बूत नीतित ढाँचा:
 - भारत ई-गेमिंग उद्योग की क्षमता का दोहन करने, राजस्व को अधिकितम करने और वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनने की दशिया में प्रयास करने के लिये मज़बूत नीतित ढाँचे और डिजिटल बुनयिादी ढाँचे की आवश्यकता है।
 - संचालन की देखरेख करने, सामाजिक मुद्दों के समाधान वाली प्रगतशील नीतियों का मसौदा तैयार करने, सकलि या चांस के खेल को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनशिचति करने और अपराध को रोकने हेतु एक सरकारी नकियाय की आवश्यकता है।
- सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच सहयोग:
 - गेमिंग कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध गतविधियों और वत्तीय लेन-देन को रोकने के लिये गेमर्स को शकिसति करने तथा केवाईसी करने एवं उपयोगकर्त्ता प्रमाणीकरण आदि जैसी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं द्वारा उत्तरदायी गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये सरकार के साथ काम करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

